

बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन सः—23/2024 भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत सहायक वास्तुविद् के कुल 106 (एक सौ छः) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से (विज्ञापन संख्या—08/2022 को निरस्त करते हुए) विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।

(1) इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है :--

(क)	1-26-		
क्र॰सं॰	कोटि	अनुमान्य पदों की	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप
		कुल संख्या	महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल
			संख्या
1.	अनारक्षित वर्ग	26	09
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	11	04
3.	अनुसूचित जाति	21	07
4.	अनुसूचित जनजाति	02	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	27	09
6.	पिछड़ा वर्ग	19	07
	कुल	106	36

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक— 2526, दिनांक— 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/ नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या

(ग)						
3. दिव्य	ांगजन अधिकार अधिनियम—2016 के आलोक में निःशक्तर	ता से ग्रस्त	उम्मीदवारों	के लिए	04	(चार)
प्रतिशत	प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या				, ,	
(i)	दृष्टि बाधित (VI)		02			
(ii)	मूक बधिर (DD)		01			
(iii)	अस्थि दिव्यांग (OH)	·	01			
(iv)	स्वपरायणता, बौद्धिक, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता एवं मानसिक		01			-
	रूग्णता					

- 2. वेत्तनमान:- लेवल-9
- 3. शैक्षणिक योग्यताः— किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला स्नातक की डिग्री (Bachelor in Architecture) एवं Council of Architecture, New Delhi से निबंधित होना अनिवार्य होगा।
- नोटः--शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि--11.03.2024 तक का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रदद कर दी जायेगी।
- 4. उम्र सीमा— दिनांक 01.08.2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)—37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)— 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)— 42 वर्ष।

संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक वास्तुविद् को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गयी अविध के समतुल्य अविध की छूट दी जायेगी। इस हेतु उम्र सीमा में अंकित कट—ऑफ—डेट 01.08.2023 तक की अविध की गणना उम्र सीमा में छूट के लिए की जा सकेगी।

- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक— 212, दिनांक— 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक—01.08.1994 से 01.08.2023 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—2374, दिनांक—16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—22218, दिनांक—12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक), जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं।



(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—22218, दिनांक—12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अविध में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे।

उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्म होगी। पूर्व में उपमोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—962, दिनांक—22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण—पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।
- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक— 2447, दिनांक— 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

5. <u>चयन प्रक्रियाः</u>—

(i) (क) बिहार वास्तुविद् सेवा संवर्ग के मूल कोटि सहायक वास्तुविद् के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन लिखित प्रितियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक तथा समान पद पर संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता यदि कोई हो. की गणना कर किया जायेगा।

❖ लिखित परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार है:--

- लिखित परीक्षा Architecture विषय की एक पत्र की होगी। परीक्षा की अवधि— 2 घंटे, पूर्णांक— 300 अंक, Type- Objective, Multiple Choice Questions पद्धित पर आधारित होगी, जिसमें 75 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटा जायेगा। परीक्षा ओ॰एम॰आर॰ शीट (OMR) पर ली जायेगी।
- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या— 2374, दिनांक—16.07.2007 एवं पत्रांक—6706, दिनांक—01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (ख) बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी / गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालय / संस्थान में संविदा के आधार पर सहायक वास्तुविद् के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्त्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में निम्नानुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी।

(ii) अभ्यर्थियों की मेधासूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी:--

(4) offer are offered read that the state of the state of the	75 अंक
(ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति	25 अंक
कार्यरत वर्ष के लिए 05 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी	
वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 05 से गुणा करने के	
पश्चात् ३६५ से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)।	
कुल अंक	100 अंक

नोट:— परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जायेगा।

अर्थात अधिमानता अंक = (परीक्षा में प्राप्त अंक ÷ परीक्षा के कुल अंक) X 75

- (iii) (क) संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालय/संस्थान में सहायक वास्तुविद् पद पर किये गये कार्य के आधार पर कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि—11.03.2024 तक की अविध की गणना कार्य अनुभव के लिए की जायेगी।
 - (ख) संविदा के आधार पर कार्यरत अविध का विनिश्चय संबंधित पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा।
- नोटः—लिखित परीक्षा हेतु Architecture विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
- मेधा सूची:—लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा संविदा के अधिमानता के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु
 मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र



तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

6. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ii) सम्प्रति राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला एवं दिव्यागंता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। इन्हें अन्य कोई आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (iii)आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iv)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः–
 - (a) जाति प्रमाण-पत्र
 - (b)स्थायी निवास / मूल निवास प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण— पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण—पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाम देय नहीं होगा।

(v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन मरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण—पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :--

क्र॰सं॰	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	sc	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST	03
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	06

(vi)(क)सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या—962, दिनांक— 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability)को इस विज्ञापन की कंडिका 1(ग) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अविध के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित्त प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या— 10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा— 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची—। में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची—। में शपथ

char.

पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के कंडिका— 3 में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।

- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक— 2342, दिनांक— 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन की कंडिका 1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक— 2526, दिनांक— 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन की कंडिका—1(ख) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक— 11687, दिनांक—30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या— 2622, दिनांक— 26.02.2019 एवं पत्रांक—12123, दिनांक—23.07. 2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरूष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन की कंडिका—1 (क) 2 में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-। (प्रपत्र-।) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक— 16144, दिनांक— 28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति / प्रोन्नित / नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण—पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाम देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि— 11.03.2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

- नोटः—(i) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संघारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाम देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/ जानकारी/किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
 - (ii) अभ्यर्थियों को किसी भी समय माँगे जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेत् प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
 - 1.मैट्रिक का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य हेत्)
 - 2. स्नातक प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र)।
 - 3. स्नातक अंक—पत्र (विज्ञापन की कंडिका—3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत अंक—पत्र)।
 - 4. Council of Architecture, New Delhi से निबंधन संबंधी प्रमाण—पत्र (विज्ञापन की कंडिका—3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
 - 5. संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता एवं अधिकतम उम्र सीमा में छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालय/संस्थान में सहायक वास्तुविद् पद पर किये गये कार्य के आधार पर कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
 - 6. संविदा के आधार पर कार्यरत अविध का विनिश्चय हेतु संबंधित पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र।
 - 7.पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।



- 8. पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
- 9.अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
- 10.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
- 11.बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
- 12.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या—2622, दिनांक—26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण—पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
- 13.दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
- 14.सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक—10668, दिनांक—29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची—I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची—II में शपथ पत्र।
- 15.स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नितनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण–पत्र;
- 16.बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं।
- 17.भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- 18.केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- 19.पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
- 20.हाल का खिंचा हुआ 2 (दो) फोटो।
- 21.लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के समय अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) दिया जायेगा। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया / परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा, अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

7. शुल्क:-

अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए Biometric fee के रूप में 200/— (दो सौ) रूपये तथा अलग—अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:—

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए— 750 / —(सात सौ पचास) रूपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए— 200/— (दो सौ) रूपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए— 200/— (दो सौ) रूपये
- (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रूपये
- नोट:—जो पूर्व में सहायक वास्तुविद् पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या—08/2022 हेतु अंतिम रूप से शुल्क मुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर चूके हैं, वे उसी मोबाईल नम्बर से नये सिरे से रिजस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। उस मोबाईल नम्बर पर Verify के लिए OTP जायेगा, जिससे उन्हें पूनः भूगतान करने से छूट रहेगा, वे सीधे ऑनलाइन आवेदन भरेंगे।

जो पूर्व में केवल रजिस्ट्रेशन किये हैं, परन्तु शुल्क का भुगतान नहीं किये हैं वह नये सिरे से रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

स्वतः बैंक चार्ज के रूप

- नोट:—(i) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/—(दो सौ) रूपये अतिरिक्त शुल्क का भूगतान नहीं करना होगा।
 - (ii) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी / बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और मिवष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनिर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता स्रक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।
- 8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	21.02.2024
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	11.03.2024

- (ii) अम्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अम्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (iii) लिखित परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के लिये अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण-पत्र / कागजात को PDF Format में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है, जिसकी सूचना परीक्षाफल प्रकाशन के बाद दी जायेगी।
- (iv) अम्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, संविदा आधारित अनुभव तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ सत्यापन के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रह हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अम्यर्थी को कोई आपित्त नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।
- (v) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही—सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

- (A) Registration के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि Registration में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएँ सही है। यदि Registration में की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत होती है तो Cancel करते हुए नये सिरे से Registration कर सकते हैं।
- (B) Application Form Submit करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर Dashboard पर उपलब्ध Download filled Application Section से भरा हुआ आवेदन Download कर लेंगे।
- नोट:—(i) वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथ्य के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(vi) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

ATT ...

- (vii) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई०डी० अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई०डी० अंकित नहीं करेंगे।
- (viii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (ix) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (x) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। जम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (xi) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (xii) ऑनलाइन मुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (xiii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xiv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से मरे गये <u>ऑनलाइन</u> <u>आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे।</u> आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण—पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

9. <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u>:--

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबिमट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा सत्यापन के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण—पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण—पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण—पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
- 10. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
- 11. शैक्षिक परीक्षा एवं संविदा आधारित अनुभव संबंधी प्रमाण—पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन—पत्र में किया है।
- 12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- 13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जायेगी। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुक्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- 14. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।